रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-21012021-224612 CG-MH-E-21012021-224612

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] No. 38] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 8 जनवरी 2021

सं. टीएएमपी/44/2020-सीओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा सीओपीटी में "चालक दल में परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भंडार, पोत की मरम्मत आदि जैसी समुद्री सेवाओं के लिए" बाहरी लंगर में कॉल करने वाले पोतों के लिए पत्तन प्रभार की वसूली के लिए प्रशुल्क के अनुमोदन से संबंधित कोचिन पत्तन न्यास (सीओपीटी) के प्रस्ताव का निपटान इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार किया जाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/44/2020-सीओपीटी

कोचिन पत्तन न्यास --- आवेदक

कोरम

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

388 GI/2021 (1)

आदेश

(दिसम्बर 2020 के इस 28वें दिन को पारित)

यह मामला कोचीन पत्तन न्यास(सीओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है, जिसके द्वारा सीओपीटी में चालक दल में परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भंडार, पोत की मरम्मत आदि जैसी समुद्री सेवाओं के लिए बाहरी लंगर में कॉल करने वाले पोतों के लिए पत्तन प्रभार की वसूली के लिए प्रशुल्क के अनुमोदन का अनुरोध किया गया है।

- 2. इस प्राधिकरण ने आदेश संख्या टीएएमपी/10/2019-सीओपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा सीओपीटी के दरमानों (एसओआर) में सामान्य संशोधन का अनुमोदन प्रदान किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 30 अक्टूबर 2019 को राजपत्र संख्या 378 द्वारा अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात, एक सकारण आदेश राजपत्र संख्या 446 दिनांक 04 दिसंबर 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ये संशोधित एसओआर भारत के राजपत्र में एसओआर की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू हुए थे और संशोधित एसओआर के लागू होने की तारीख से 3 वर्षों की अविध के लिए लागू रहेंगे।।
- 3. सीओपीटी द्वारा अब अपने पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2020 द्वारा अपने वर्तमान प्रस्ताव में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - (i). माननीय पोत परिवहन मंत्री द्वारा 27 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई समीक्षा बैठक के दौरान, इस बात को ध्यान में रखा कि पोत की मरम्मत / चालक दल परिवर्तन / भंडार की आपूर्ति / बंकरिंग सुविधाएं पत्तन के लिए राजस्व सृजन भविष्य के अवसर बन सकते हैं। इसलिए, पिछले 4 महीनों के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर, यह प्रस्ताव 15 अक्टूबर 2020 से तदर्थ कार्यान्वयन के लिए दरों पर विचार करने और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।
 - (ii). सीओपीटी के लंगर में 15 मई 2020 से 26 सितंबर 2020 तक चालक दल परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के दौरान 630 से अधिक पोतों को 10,000 से अधिक नाविकों को बदलते हुए देखा है। वर्तमान में, पत्तन केवल पत्तन के एसओआर में अधिसूचित टैग किराया वसूल रहा है और उपरोक्त अविध के दौरान लगभग 11.17 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। चालक दल के परिवर्तन के लिए डेटा के विश्लेषण पर यह देखा गया है कि, औसतन, टग किराया प्रभार का बिल 3 घंटे का बनाया जाता है जो रुपये 1.5 लाख है।
 - (iii). चूंकि, अब कोई अन्य शुल्क एकत्र नहीं किया जा रहा है, इसलिए, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों पर एकत्र किए गए शुल्क के अनुरूप बाहरी लंगर के उपयोग के लिए नाममात्र के प्रभार एकत्र करने की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया गया है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों पर तुलनात्मक प्रशुल्क की तुलना नीचे दी गई है:

निकटवर्ती पत्तनों पर लंगर प्रभार

देश	दर	50,000 जीआरटी भारतीय रुपये में)		
कोलम्बो	प्रति जीआरटी अथवा उसका भाग 100 घंटे अथवा उसका भा 24 प्रति	यूएस \$ 2.20	रु.82,500 प्रति दिन	रु.3,450 प्रति घंटे
सिंगापुर	प्रथम दिन-दर प्रति जीआरटी प्रति 100 जीटी(\$)	यूएस \$1.00 प्रति दिन	रु.37,500 प्रति दिन	रु.1,565 प्रति घंटे
Ç	दूसरे दिन– दर प्रति जीआरटी प्रति जीटी 100(\$)	यूएस \$ 4.40 प्रति दिन	रु1,65,000 प्रति दिन	रु6,875 प्रति घंटे
	10 दिन तक	निशुल्क		
फुजेरा	11वें दिन से वें दिन तक15	5750 डीएचएस/दिन	रु1,15,575	रु4,815.63 प्रति घंटे
3,	16वें दिन से वें दिन तक20	8625 डीएचएस <i>/</i> दिन	प्रति दिन	
	21वें दिन से और उसके आगे	11,500 डीएचएस /दिन		
	पहले दिन 3	एईडी 3 फिल्स प्रति जीआरटी	रु.60,300 3	रु.837.50
शरजाह	3 दिनों के पश्चात वें दिन तक7	एईडी 3 फिल्स प्रति जीआरटी प्रति दिन	दिनों के लिए	प्रति घंटे

- (iv). सीओपीटी पर कॉल करने वाले पोतों के आकार की तुलना करने पर सबसे बड़ा कार्गो पोत लगभग 80,000 जीआरटी है और सबसे छोटे फीडर पोतों का जीआरटी लगभग 15,000 है। पोतो के औसत आकार को 50,000 जीआरटी के रूप में लेते हुए, पत्तन ने पोतो के आकार / श्रेणी के बावजूद समुद्री सेवाओं के लिए बाहरी लंगर में कॉल करने वाले पोतो के लिए पत्तन प्रभार के रूप में रुपये 5,500 / प्रति घंटे या उसके भाग का प्रभार वसल करने का निर्णय लिया है।
- (v). चालक दल में परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भंडार, पोत की मरम्मत आदि जैसी समुद्री सेवाओं के लिए बाहरी लंगर में कॉल करने वाले पोतों के लिए पत्तन प्रभार लंगर पर पोत के लंगर किए जाने के समय से लंगर उठाए जाने के समय तक लागू होंगे।
- (vi). किसी ऐसे पोत के मामले में, जिसे लंगर में नहीं डाला गया है लेकिन केवल कर्मियों या सामान लेने/ छोड़ने के लिए लंगर में आता है तो पोत के पहुंचने से लेकर पोत द्वारा कार्यों को पूरा किए जाने के समय तक चालक दल परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भंडार, पोत की मरम्मत आदि जैसी समुद्री सेवाओं के लिए पत्तन प्रभार लागू होगा।
- (vii). चूंकि बाहरी लंगर में समुद्री सेवाओं की सुविधा एक नया उद्यम है और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए है और गित को बनाए रखने के लिए है, इसलिए, केवल एक आकर्षक आरंभिक प्रभार की शुरुआत की गई है जिसे व्यवसाय के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है।
- (viii). तदनुसार, अध्याय II 'पोत से संबंधित प्रभार' में "समुद्री परिवर्तन, बंकरिंग, जैसे समुद्री सेवाओं के लिए बाहरी लंगर में कॉल करने वाले पोतों के लिए पोत प्रभार" के रुप में विद्यमान दरमानों में एक नए खंड 2.8 के रूप में निम्नलिखित प्रभारों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है, जैसाकि नीचे दिया गया है:
- "2.8 समुद्री सेवाओं जैसे चालक दल परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भंडारण, पोत मरम्मत आदि के लिए बाह्य लंगर पर कॉल करने वाले पोतों के लिए पोत प्रभार

विवरण	यूनिट	दर (रुपये मे)
समुद्री सेवाओं के लिए बाह्य लंगर पर कॉल करने वाले पोतों के लिए प्रभार	प्रति घंटा अथवा उसका भाग	5500.00

टिप्पणियाँ:

- (i) लंगर के लिए जाने की अनुमति के समय से खाली करने के समय तक प्रभार लागू होंगे और पोतों का लंगर नहीं होने के मामले में, पोत के अभिहित स्थान तक पहुंचने के समय से सेवा कार्य को पूरा होने के समय तक ये लागू होंगे।
- (ii) यह प्रभार लंगर प्रभार और टग किराया प्रभार के अतिरिक्त है जो दरमानों में पृथक रुप से अधिसूचित हैं। "
- (ix). उपर्युक्त प्रस्ताव अध्यक्ष, सीओपीटी द्वारा अनुमोदित है और इसके द्वारा 15 अक्टूबर 2020 से तदर्थ आधार पर उपर्युक्त प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और बोर्ड के एजेंडा और संकल्प की एक प्रति बोर्ड की बैठक के बाद यथासमय प्रस्तुत की जाएगी।
- (x). पूर्ववर्ती बातों को ध्यान में रखते हुए, चालक दल परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भंडार, पोत की मरम्मत आदि जैसी समुद्री सेवाओं के लिए बाहरी लंगर में कॉल करने वाले पोतों के लिए पत्तन शुल्क के लिए रु. 5,500 / प्रति घंटे या उसके भाग की दर को तदर्थ आधार पर 15 अक्टूबर 2020 से लागू करने के लिए अनुमोदित करने का अनुरोध किया जाता है और इस संबंध में शीघ्र आवश्यक आदेश जारी करें।
- 4.1 विषयाधीन प्रस्ताव प्राप्त होने के संबंध में स्वीकृति प्रदान करते हुए, हमारे 21 अक्टूबर 2020 के पत्र द्वारा सीओपीटी से प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के आधार पर कुछ बिंदुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। सीओपीटी ने 04 नवंबर 2020 के अपने पत्र और दिनांक 06 दिसंबर 2020 और 10 दिसम्बर 2020 के अनुवर्ती ई-मेल द्वारा उत्तर दिया है। हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी/स्पष्टीकरण और सीओपीटी की प्रतिक्रिया नीचे दी गई है:

क्रं.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना तावेजदस्/	सीओपीटी द्वारा दिया गया उत्तर
(i).	प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देशों के खण्ड 10.1.1 के अनुसार,	(क). कारोबारियों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात,
	विदेशगामी पोतों के लिए पोत संबंधी प्रभारों का यूएस डालर में	समुद्रीय सेवाओं के लिए बाह्य लंगरगाह पर कॉल करने वाले पोतों

आंका जाना और वसूली भारतीय रुपये में करना जारी रहेगा। पत्तन के इस प्रस्ताव में यह उल्लेख है कि यह मद एक पोत से संबंधित प्रभार है। यद्यपि,पत्तन द्वारा रुपयों में एकल प्रशुल्क का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए, प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देशों के उक्त खण्ड के अनुरुप यूएस\$ में विदेशगामी पोत के लिए इस मद के लिए और सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार और प्रक्रिया दिशा-निर्देश,2018 के पैरा 10.1.2 में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य 40% रियायत के प्रग्रहण करने के पश्चात तटीय पोत के लिए भारतीय रुपये में प्रशुल्क का प्रस्ताव करने के लिए पत्तन को विचार करना है।

(ii). प्रशुल्क नीति, 2018 के खण्ड 7.6.1 में नए कार्गो/सेवा के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के लिए विकल्प का प्रावधान किया गया है जिसके लिए विद्यमान एसओआर में प्रशुल्क उपलब्ध नहीं है। उदाहरणार्थ अन्य महापत्तनों में इसी प्रकार के कार्गो/सुविधाओं के लिए दर को अपनाने, 2008 के सिद्धांतों को अपनाने के लिए मानदण्ड संबंधी आधार और लागत जमा 16% के प्रतिफल का दृष्टिकोण। पत्तन को प्रशुल्क नीति,2018 में निर्धारित जिन विकल्पों के अंतर्गत प्रस्तावित दर आती हैं, उनके बारे में स्पष्ट करना है। पत्तन को प्रस्तावित दर का आधार प्रस्तुत करना है।

के लिए पोत प्रभारों के संबंध में रु. 5,500/-प्रति घंटा की दर अथवा उसके अंश की दर निर्धारित की गई थी। चूँिक, बाह्य बंदरगाह पर समुद्रीय सेवाओं की सुविधा एक नए प्रकार का उपक्रम है और यह कारोबार को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से है, इसलिए, एक आकर्षक प्रारंभिक स्वरुप की राष्ट्रीय प्रशुल्क का प्रस्ताव किया गया था जिसमें कारोबार के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे वृद्धि की जा सकेगी। प्रस्तावित प्रशुल्क एक व्यापक सम्मिश्रित प्रशुल्क था जो कि कूज पोतों के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए युक्तिसंगत प्रशुल्क के समान है।

(ख). पहले संसूचित की गई 5,500/-रुपये प्रति घंटे की दर सीओपीटी के विद्यमान एसओआर की दर 2.3.4 क्रम संख्या 4 के प्रशुल्क के संदर्भ में निर्धारित किया गया था अर्थात 144 घंटों के बाद ठहराव गैर-पत्तन बर्थ के लिए निर्धारित एसओआर में अधिसूचित लंगर-शुल्क अर्थात यूएस\$ 0.001466 प्रति जीआरटी प्रति घंटा (खण्ड 2.3.4 क्रं.सं.4)। कोचीन पत्तन पर कॉल करने वाले पोतों के आकार की तुलना करने पर, सबसे बड़े मालवाहक पोत को लगभग 80,000 जीआरटी और सबसे छोटे फीडर पोतों को 15,000 जीआरटी का मानते हुए, 50,000 की जीआरटी को एक औसत माना गया है। तद्नुसार, पोत के आकार/श्रेणी का ध्यान रखे बिना नीचे दिए अनुसार गणना के आधार पर 5,500रुपये प्रति घंटा अथवा उसके किसी अंश के लिए दर निर्धारित की गई थी:

144 घंटों के पश्चात	पोत की	भारतीय	मूल प्रस्ताव में
लंगर प्रभार	औसत	रुपये में	प्रस्तावित
(यूएस \$ में)	जीआरटी	डालर की	समुद्री सेवा
(4ζζα ψ ч)	(ख)	दर (ग)	प्रभार
(क)			(क x ख x ग)
			,
\$ 0.001466	50,000	75	रु5,497.5
			(जिसे
			रु5,500/-में
			राउंड आफ
			किया गया है)

(ग). चूँकि, टीएएमपी ने प्रक्रिया दिशा-निर्देशों के खण्ड 10.1.1 और 10.1.2 के अनुसार विदेश गामी पोत के लिए अमरीकी डालर में और सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार प्रयोज्य 40% रियायत प्रग्रहण करने के पश्चात रुपये में वसूल करने के लिए तटीय पोत के लिए प्रशुल्क का प्रस्ताव करने के लिए निदेश दिए थे, इसलिए, सीओपीटी के विद्यमान एसओआर की दर 2.3.4 क्रम संख्या 4 की उसी प्रशुल्क के संदर्भ में नीचे दर्शायी गई तालिका के अनुसार विदेशी और तटीय पोत के लिए पृथक प्रशुल्क का प्रस्ताव किया जाता है:

यह दर समिति की संस्तुतियों के अनुरुप है जो कारोबारियों के साथ परामर्श के आधार पर थीं

विवरण	यूनिट	तटीय पोत (रुमें)	विदेशगामी पोत (यूएस \$) में
समुद्री सेवाओं के लिए	प्रति घंटा	3,300.00*	73.3
बाह्य लंगर पर कॉल	अथवा		#
करने वाले पोतों के	उसका		
लिए प्रभार	कोई अंश		

*(73.30 यूएस\$ X 75.00 X 60%)

(घ). अन्य पत्तनों के प्रशुल्क को संदर्भ प्रशुल्क के रुप ग्रहण करने के स्थान पर पत्तन द्वारा सीओपीटी के विद्यमान एसओआर के खण्ड संख्या 2.3.4 क्र.सं. 4 पर अपने स्वयं के प्रशुल्क का संदर्भ ग्रहण किया है। पत्तन ने उपर्युक्त प्रस्तावित दरों के संबंध में निर्णय करने से पहले अन्य पत्तनों जैसे कोलम्बो, सिंगापुर, फुजेरा आदि के प्रशुल्क की तुलना भी की है और निकटस्थ अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों में इसी प्रकार की सेवाओं के लिए दरों के साथ इसे तुलना करने योग्य पाया है।

(इ). तत्पश्चात, सीओपीटी ने अपने ई-मेल दिनांक 06 दिसम्बर 2020 के द्वारा यह भी स्प्ष्ट किया है कि समुद्री सेवाओं के लिए प्रसतावित पत्तन प्रभार केवल लंगर प्रभारों, टग प्रभारों या किसी अन्य प्रभार, जो दरमानों में निर्धारित हैं और पत्तन द्वारा लगाए गए हैं, से अलग हैं अर्थात वे लंगर प्रभारों, टग किराया प्रभारों के अतिरिक्त वसूल करेंगे (यदि उनकी सेवाएं पोतों द्वारा प्रयोग की जाती हैं) अथवा पत्तन द्वारा उपलब्ध करायी गई अन्य किसी सेवा जिसके लिए अलग से प्रभार लिए जाएंगे।

समुद्री सेवाओं के लिए पत्तन के प्रभार समुद्री सेवा प्राप्त करने के लिए पोत के पहुंचने के क्षण से ही लागू होंगी जबिक लंगर प्रभार 48 घंटे के पश्चात दोनों प्रकार के प्रभार लागू होंगे।

एसओआर के प्रस्ताव की टिप्पणी में इस स्थिति को नीचे दिए अनुसार स्पष्ट किया गया है:

- समुद्री सेवाओं के लिए पत्तन के प्रभार खाली करने के लिए लंगर में आने के समय से लागू होंगे और पोतों का लंगर नहीं डाले जाने के मामले में अभिहित स्थिति पर पोत के पहुंचने के समय से सेवा के पूरा होने के समय तक लागू होंगे।
- 2. यह प्रभार लंगर प्रभारों, टग किराया प्रभारों और अन्य प्रभारों जो दरमानों में पृथक रुप से अधिसूचित हैं, के अतिरिक्त है। पोत ने पत्तन में प्रवेश नहीं किया है तो किसी सेवा के लिए लंगर पर कॉल करने वाले ऐसे पोतों के लिए पत्तन की देयताओं के प्रति कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा (देखें: एसओआर के पैरा 2.1.2 के अंतर्गत टिप्पणी #2).

(iii). आदेश संख्या टीएएमपी/10/2019-सीओपीटी दिनांक 10 अक्तूबर

प्रस्तावित नई दर से प्रति वर्ष लगभग रुपये 6 करोड़ अतिरिक्त

राजस्व प्राप्त होने की संभावना है जो रुपये 21.27 करोड़ के 2019 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अंतिम सामान्य एसओआर में राजस्व अंतर रुपये 21.27 करोड़ है। सीओपीटी को राजस्व अंतर और रुपये 418 करोड़ के कल अनमानित एआरआर के रुपये 5,500/-प्रति घंटे अथवा उसके किसी अंश पर समुद्री सेवाओं भीतर है। के लिए बाह्य लंगर पर कॉल करने वाले पोतों के लिए प्रभारों के लिए प्रस्तावित दर पर प्रोद्भृत होने वाले अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाना है और यह पृष्टि करनी है कि यह राजस्व अंतर के भीतर होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल राजस्व अनुमान उक्त आदेश में रुपये 418.89 करोड़ के कुल अनुमानित एआरआर के भीतर हो। और, प्रस्तावित दर के लिए बोर्ड के अनुमोदन की एक प्रति प्रस्तुत सीओपीटी ने अपने ई-मेल दिनांक 10 दिसम्बर 2020 द्वारा पत्तन (iv). करें। के प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड के अनुमोदन की प्रति अग्रेषित की है। पत्तन के बोर्ड के न्यासियों ने 26 नवम्बर 2020 से विदेशगामी पोत के लिए प्रति घंटे अथवा उसके किसी भाग के लिए अमरीकी डॉलर 73.3 और तटीय पोत के लिए प्रति घंटे अथवा उसके किसी भाग के लिए रुपये 3,300/- की संशोधित दरों का और इस प्राधिकरण द्वारा दरों के अनुमोदन होने तक उक्त तारीख से तदर्थ आधार पर संशोधित दरों का कार्यान्वयन करने के लिए संशोधित दर का अनुमोदन कर दिया है। सीओपीटी के बोर्ड के न्यासियों ने भी सीओपीटी के मूल प्रस्ताव के अनुसार 15 अक्तूर 2020 से तदर्थ आधार पर प्रति घंटे अथवा उसके किसी अंश के लिए रुपये 5,500/-की दर को कार्यान्वित करने के संबंध में पत्तन द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया है।

4.2. इस प्रकार, सीओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 04 नवम्बर 2020 द्वारा अध्याय-II "पोत संबंधित प्रभार" में विद्यमान दरमानों में रु.5,500/-प्रति घंटे के इसके मूल प्रस्ताव के प्रति "चालक दल परिवर्तन, बंकिरिंग, पोत भण्डारों, पोत मरम्मत आदि जैसी समुद्री सेवाओं के लिए बाह्य लंगर पर कॉल करने वाले पोतों के लिए पोत प्रभार" के रुप में एक नए खण्ड 2.8 के रुप में निम्नलिखित प्रस्तावित प्रभारों को सिम्मलित करने के लिए प्रस्ताव किया है:

"2.8 चालक दल परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भण्डारों, पोत मरम्मत आदि जैसी समुद्री सेवाओं के लिए बाह्य लंगर पर कॉल करने वाले पोतों के लिए पोत प्रभार

विवरण	यूनिट	तटीय पोत	विदेशगामी पोत
		<i>(</i> रु में <i>)</i>	(अमरीकी \$ में)
समुद्री सेवाओं के लिए बाह्य लंगर पर कॉल करने वाले पोतों के लिए प्रभार	प्रति घंटा अथवा उसके किसी भाग के लिए	3,300.00	73.3

'टिप्पणी-

- (i). पत्तन के प्रभार खाली करने के लिए लंगर में आने के समय से लागू होंगे और पोतों का लंगर नहीं डाले जाने के मामले में ये अभिहित स्थिति पर पोत के पहुंचने के समय से सेवा के पूरा होने के समय तक लागू होंगे।
- (ii). यह प्रभार लंगर प्रभारों और टग किराया प्रभारों जो दरमानों में पृथक रुप से अधिसूचित हैं, के अतिरिक्त है।
- 5. निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुसार, हमारे पत्र दिनांक 21 अक्तूबर 2020 के द्वारा सीओपीटी के प्रस्ताव दिनांक 16 अक्तूबर 2020 की प्रति उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पियां आमंत्रित करते हुए परिचालित की गई थी। इसके अलावा, हमारे पत्र दिनांक 10 नवम्बर 2020 द्वारा उपयोक्ता/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पिणयां आमंत्रित करते हुए सीओपीटी के अनुवर्ती पत्र दिनांक 04 नवम्बर 2020 भी परिचालित किया गया था। हमें कोचीन स्टीमर एजेंटस एसोसिएशन (सीएसएए) से टिप्पिणयां प्राप्त हुई थी। अन्य किसी भी उपयोक्ता/उपयोक्ता संगठनों से कोई टिप्पिण प्राप्त नहीं हुई। सीएसएए से प्राप्त टिप्प्णियों की प्रति फीड बैक सूचना के रुप में सीओपीटी को अग्रेषित की थीं। इस मामले में अंतिम रुप से कार्रवाई करने तक सीओपीटी द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी है।

- 6. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 24 नवम्बर 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। सीओपीटी और संबंधित उपयोक्ताओं / उपयोक्ता संगठनों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत कीं।
- 7. इस मामले में परामर्श से संबंधित प्रक्रियाओं का रिकार्ड इस प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध है। संबंधित पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के उद्धरण उन्हें अलग से भेजे जाएंगे। यह ब्यौरा भी हमारी वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in. पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 8. इस मामले पर कार्रवाई करने के दौरान एकत्र की गई सूचना की संपूर्णता के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आयी है:
 - (i). कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सीओपीटी पर चालक दल परवर्तन, बंकरिंग, पोत भण्डार, पोत मरम्मत आदि जैसी समुद्रीय सेवाओं के लिए बाह्य लंगर पर कॉल करने वाले पोतों के लिए पोत प्रभारों के संग्रहण के लिए निर्धारित प्रशुल्क निर्धारित करने से संबंधित है।

सीओपीटी के बाह्य लंगर पर 630 से अधिक पोतों के चालक दल परिवर्तन के प्रचालनों की श्रृंखला, जो 15 मई 2020 से 26 सितम्बर 2020 की अविध के दौरान घटित हुए जिसके दौरान 10,000 से अधिक पोत संचालकों का परिवर्तन हुआ, को देखते इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया है। जैसािक सीओपीटी द्वारा पृष्टि की गई है, इस समय यह पत्तन पत्तन के एसओआर में अधिसूचित टग किराया प्रभारों का ही प्राप्त कर रहा है। टग किराया प्रभारों का बिल 3 घंटों के लिए होता है और रु.1.5 लाख के लगभग रािश बनती है। टग किराया प्रभारों के अलावा, अन्य कोई प्रभार इस समय प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। चालक दल परिवर्तन की अविध 20 घंटे हैं। विद्यमान एसओआर के अनुसार टग किराया प्रभारों को छोड़कर पत्तन कोई राजस्व अर्जित नहीं करता तथािप, चालक दल परिवर्तन की सेवाएं पत्तन के बाह्य लंगर पर प्राप्त की जाती हैं। अत: प्रस्तावित दरें आरंभिक स्वरुप की हैं। इस प्रकार, संक्षेप में, सीओपीटी प्राप्त की गई चालक दल परिवर्तन की सेवाओं को लंगर के बाहर तक ही सीमित रखने को ध्यान में रखते हुए, सीओपीटी ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकटवर्ती पत्तनों पर प्राप्त किए गए प्रभारों के अनुरुप बाह्य लंगर के उपयोग के लिए नाममात्र के प्रभार एकत्र करने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया है।

प्रशुल्क नीति, 2018 के खंड 7.6.1 में नए कार्गो / सेवा के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के लिए विकल्प निर्धारित किया गया है, जिसके लिए विद्यमान एसओआर अर्थात अन्य महापत्तनों में समान कार्गो / सुविधा के लिए दर को अपनाना, 2008 के सिद्धांतों और लागत के साथ-साथ 16% प्रतिफल दृष्टिकोण को अपनाते हुए नियामक आधार, में प्रशुल्क उपलब्ध नहीं है। पत्तन ने प्रस्तावित प्रशुल्क का आधार प्रस्तुत किया है, जिस पर अनुवर्ती पैराग्राफ में प्रकाश डाला गया है।

सीओपीटी के इस प्रस्ताव में इसके पत्तन पर प्राप्त की गई नई सेवाओं के लिए प्रशुल्क प्राप्त करने की बात का उल्लेख है। ऐसा है तो, सीओपीटी का यह प्रस्ताव विचार करने के योग्य है।

(ii) अब, सीओपीटी के वर्तमान प्रस्ताव पर आते हैं, सीओपीटी ने सीओपीटी में समुद्री सेवाओं, जैसे चालक दल परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भण्डार, पोत की मरम्मत आदि के लिए बाहरी लंगर पर कॉल करने वाले पोतों के लिए पत्तन शुल्क लेने के लिए प्रस्ताव किया है।

मूल प्रस्ताव में, सीओपीटी ने कारोबारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद रुपये 5,500/- प्रति घंटे की दर से प्रस्ताव किया था और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकटवर्ती पत्तनों पर एकत्रित शुल्क को ध्यान में रखते हुए यह उल्लेख किया कि चूंकि बाह्य बंदरगाह पर समुद्री सेवाओं की सुविधा एक नया उद्यम है और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, एक आकर्षक परिचयात्मक अनुमानित प्रशुल्क का प्रस्ताव किया गया था। प्रस्तावित प्रशुल्क क्रूज पोतों के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित युक्तिसंगत प्रशुल्क के समान एक व्यापक समग्र प्रशुल्क था।

सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार, तटीय पोत के लिए अलग दर के लिए कार्यालय द्वारा उठाए गए बिंदु के आधार पर, सीओपीटी ने अब विदेशगामी पोत के लिए अमरीकी \$ 73.30 प्रति घंटे और तटीय पोत के लिए रुपये 3,300/- प्रति घंटे पर पृथक दर का प्रस्ताव किया है। परिकलन को दर्शाने वाला एक विवरण पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दिया गया है, जिसे संक्षिप्तता बनाए रखने की दृष्टि से पुन: दोहराया नहीं गया है। प्रस्तावित दर के संबंध में निर्णय लेने के लिए, पत्तन ने सीओपीटी के विद्यमान एसओआर की अनुसूची 2.3.4 में गैर पत्तन बर्थ के लिए पोत के 144 घंटे से अधिक के ठहराव के लिए यूएस \$ 0.001466 प्रति जीआरटी प्रति घंटे की दर से निर्धारित लंगर प्रभारों पर विचार किया है और कोचीन पत्तन (80,000 + 15000)/2=50,000 जीआरटी) में कॉल करने वाले सबसे बड़े पोत और सबसे छोटे फीडर पोतों के आकार के आधार पर 50,000 के औसत जीआरटी के पोतों पर विचार करते हुए और विदेशगामी पोत [\$ 0.001466 X 50,000 जीआरटी] के लिए प्रति घंटे या उसके भाग के लिए यूएस \$ 73.30 का निर्णय लिया। तटीय पोत के लिए रियायती दर 1यूएस \$ = रुपये 75 की विनिमय दर को लागू करने का प्रस्ताव है। पत्तन ने कोलंबो, सिंगापुर, फुजैरा और शारजाह जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों के

प्रशुल्क के साथ प्रस्तावित प्रशुल्क की तुलना की है और प्रस्तावित दर को निकटस्थ अंतरराष्ट्रीय पत्तनों पर समान सेवाओं के लिए दरों के साथ तुलनीय पाया है। सीओपीटी के न्यासी बोर्ड ने 26 नवंबर 2020 से संशोधित दर का अनुमोदन कर दिया है।

- (iii). (क) पत्तन ने दो टिप्पणियों का प्रस्ताव किया है। पहली टिप्पणी में यह उल्लेख है कि समुद्री सेवाओं के लिए प्रस्तावित पत्तन प्रभार लंगर के लिए जाने के समय से लेकर लंगर खाली करने तक के लिए लागू होंगे और लंगर पर नहीं लगे पोतों के मामले में, यह समय पोत के अभिहित स्थान पर पहुंचने से लेकर सेवा कार्य के पूरा हो जाने के समय तक लागू होगा। प्रस्तावित टिप्पणी प्रस्तावित दर की प्रयोज्यता के समय से संबंधित है और इसलिए अनुमोदित है।
 - (ख) दूसरी टिप्प्णी में यह उल्लेख है कि प्रस्तावित प्रभार लंगर प्रभारों, टग किराया प्रभार और किसी भी अन्य प्रभार के अलावा है जो दरमान में पृथक रुप से अधिसूचित हैं।

प्रस्तावित प्रशुल्क पत्तन के लंगर के बाहर सीओपीटी में प्रदान की गयी चालक दल परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भण्डारण, पोत मरम्मत कार्यों आदि की सेवाओं के लिए है। पत्तन ने पुष्टि की है कि किसी भी सेवाओं के लिए लंगर पर कॉल करने वाले पोतों से पत्तन को देय राशि नहीं ली जाएगी क्योंकि पोत ने पत्तन में प्रवेश नहीं किया है।

वर्तमान में, पत्तन उक्त समुद्री सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लंगर के बाहर के पोतों के लिए टग किराया प्रभार वसूल करता है। जहां तक लंगर प्रभारों का संबंध है, सीओपीटी के विद्यमान एसओआर के अनुसार, लंगर प्रभार, वर्थिंग पॉलिसी, 2016 के अनुसार केवल 48 घंटों के बाद ही लगाए जाते हैं और इसलिए पहले 48 घंटों के लिए लागू नहीं होते हैं। जैसािक पत्तन द्वारा सूचित किया गया है, चालक दल परिवर्तन की सेवाएं 20 घंटे में पूरी हो जाती हैं। समुद्री सेवाओं के लिए प्रस्तावित पत्तन प्रभार उस समय से लागू होंगे जब पोत सेवाओं के पूरा होने तक समुद्री सेवा का लाभ उठाने के लिए पहुंचता है, जबिक लंगर प्रभार लंगर पर 48 घंटे के प्रवास के बाद ही लागू होगा। दूसरे टिप्पण में किया गया प्रस्ताव स्पष्टीकरण के स्वरुप का अधिक है और इसलिए अनुमोदित है।

(iv). कोचीन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (सीएसएए) और इंडियन नेशनल शिप आनर्स एसोसिएशन (आईएनएसए) ने यह उल्लेख िकया है कि बंकिरेंग लगभग 20 घंटे के लिए होती है। प्रस्तावित दर पर, लगभग 1 लाख रुपये का प्रभाव पड़ेगा। पोत वापस चले जाएंगे और सीएसएए को सीओपीटी में बंकिरेंग पाने के लिए काफी अधिक मार्केटिंग करनी पड़ी। उन्हें कोलंबो से पोत प्राप्त हुए हैं। अन्य अंतरराष्ट्रीय पत्तनों पर इस तरह का प्रशुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसलिए, सीएसएए और आईएनएसए ने बंकिरेंग के लिए प्रभारों से छूट प्रदान करने अथवा प्रस्तावित दरों में कम से कम 50% की छूट प्रदान करने के लिए पत्तन से अनरोध किया है।

पत्तन द्वारा यह प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है कि उक्त मामला संवेदनशील है और इसे बोर्ड के समक्ष रखा गया है। पत्तन ने आश्वासन दिया है कि बंकरिंग के लिए आने वाले पोत के संबंध में पत्तन द्वारा इस प्रभार से छूट प्रदान की जा सकती है बशर्ते इसके बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन किया जाए। हालाँकि, पत्तन ने मामले पर कार्रवाई करने के दौरान एसओआर में प्रस्तावित दर का निर्धारण करने के लिए जोर दिया है ताकि पत्तन द्वारा इसकी समीक्षा की जा सके।

पत्तन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर और यह स्वीकार करते हुए कि पत्तन के न्यासी बोर्ड ने प्रस्तावित दर का अनुमोदन कर दिया है, प्रस्तावित दरें एसओआर में निर्धारित की जाती हैं। प्रशुल्क नीति, 2018 के खंड 2.7 के अनुसार, संबंधित महापत्तन न्यास द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि एसओआर में बदलाव के परिणामस्वरूप पोत प्रभारों में कोई क्षति नहीं होगी।

- (v). सीओपीटी में समुद्री सेवाओं जैसे चालक दल परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भण्डारण, पातों की मरम्मत आदि के लिए बाहरी लंगर पर कॉल करने वाले पोतों के लिए पत्तन प्रभारों से प्रति वर्ष लगभग 6 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। हालांकि, यह अंतिम सामान्य संशोधन आदेश संख्या टीएएमपी/10/2019-सीओपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 में प्रस्तावित एसओआर पर अनुमानित राजस्व पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो रुपये 418 करोड़ है और छोड़ दिया गया राजस्व अंतराल रुपये 21.27 करोड़ है।
- (vi). सीओपीटी ने सूचित किया है कि पत्तन 15 अक्टूबर 2020 से तदर्थ आधार पर मूल रूप से रुपये 5,500 प्रति घंटे या उसके भाग का प्रस्तावित प्रशुल्क प्राप्त कर रहा है और इसलिए, 15 अक्टूबर 2020 से प्रस्तावित दर के संबंध में तदर्थ अनुमोदन प्रदान करने का अनरोध किया गया है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एक नए कार्गो/सेवा/सुविधा के लिए, जिसके लिए पत्तन के विद्यमान एसओआर में कोई प्रशुल्क उपलब्ध नहीं है, खण्ड 5.7.1 और 5.7.2 के साथ पिठत खण्ड 5.7.3 में प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश 2018 के द्वारा पत्तन को इस प्राधिकरण के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ-साथ तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दरों को लागू करने के लिए की अनुमित प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश के खंड 5.7.5 में यह विनिर्दिष्ट है कि

सामान्यतया नए कार्गो/सुविधा के लिए अनुमोदित की जाने वाली दरों पर भावी प्रभाव पड़ेगा। उक्त खंड में इस प्राधिकरण को पत्तन द्वारा तदर्थ रुप से अपनाए गए अंतरिम दर को तब तक मान्यता प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है जब तक पूर्वव्यापी रूप से इसे कुछ मित्तव्ययता बरतने की आवश्यकता न हो।

मामले पर कार्रवाई के दौरान, पत्तन ने पत्तन के प्रस्ताव पर इसके बोर्ड के अनुमोदन की एक प्रति अग्रेषित कर दी है। पत्तन के न्यासी बोर्ड ने 26 नवंबर 2020 से विदेशीगामी पोत के लिए प्रति घंटे यूएस \$ 73.3 प्रति घंटे और उसके भाग और तटीय पोत के लिए उसके भाग के प्रति घंटे रुपये3,300/-और उसके भाग की संशोधित दर का अनुमोदन प्रदान किया है और इस प्राधिकरण द्वारा दरों के अनुमोदन तक उक्त तिथि से संशोधित दरों को लागू करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। सीओपीटी के न्यासी बोर्ड ने भी 15 अक्टूबर 2020 से सीओपीटी के मूल प्रस्ताव के अनुसार तदर्थ आधार पर रुपये 5,500/- प्रति घंटे अथवा उसके भाग की दर से लागू करने के लिए पत्तन द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया है।

संशोधित प्रस्ताव में सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित दर केवल यूएस \$ में 'मूल्यवर्ग दर 'का रूपांतरण है। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाने वाली दर को सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित मूल दर से भिन्न नहीं पाया गया है और पत्तन द्वारा यह तदर्थ आधार पर अनंतिम रूप से प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा, प्रस्तावित दर पहले ही पत्तन द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी है, जो प्रक्रिया दिशा-निर्देशों के खंड 5.7.1 और 5.7.2 के अनुरूप है। ऐसा होने के नाते, और इस बात को स्वीकार करते हुए कि न्यासी बोर्ड ने तदर्थ आधार पर रुपये 5,500/- प्रति घंटे और उसके भाग की दर को कार्यान्वित करने के लिए सीओपीटी के मूल प्रस्ताव के अनुसार 15 अक्टूबर 2020 पत्तन द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया है और 26 नवंबर 2020 से विदेशगामी पोतों के लिए यूएस \$ 73.3 प्रति घंटे और उसके भाग तथा तटीय पोत के लिए रुपये 3,300/- प्रति घंटे और उसके भाग की संशोधित दरों का अनुमोदन प्रदान किया है, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित दरों के लागू होने तक प्रक्रिया दिशानिर्देशों के खण्ड 5.7.5 के अनुरूप यह प्राधिकरण मान्यता प्रदान करता है।

इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें आमतौर पर गजट अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद संभावित रूप से प्रभावी हो जाती हैं, जब तक कि संबंधित प्रशुल्क आदेशों में विशेष रूप से अलग व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया जाता है। चूंकि प्रस्तावित दरें पहले से ही इसके बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर पत्तन द्वारा कार्यान्वित की गई हैं, इसलिए, सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित दरों को राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी किया जाता है और 26 नवंबर 2020 से पत्तन द्वारा कार्यान्वित संशोधित दरों के बारे में यह माना जाता है कि पारित आदेश की अधिसूचना की तारीख तक इसे समर्थन प्राप्त हो गया है।

इस मद के लिए निर्धारित दरें, आदेश टीएएमपी/10/2019-सीओपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा प्रशुल्क नीति, 2018 के तहत पत्तन के अनुमोदित एसओआर के सामान्य पुनरीक्षण का हिस्सा बनेंगी और दरों की वैधता इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पत्तन के संशोधित एसओआर की वैधता की अवधि के समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाएगी।

9.1 परिणाम में, और ऊपर दिए गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण सीओपीटी के विद्यमान दरमान (एसओआर) में अध्याय-II – पोत संबंधित प्रभार के अंतर्गत उप-अनुसूची 2.8 के रुप में समावेशन के रुप में निम्नलिखित का अनुमोदन किया जाता है:

"2.8 समुद्री सेवाओं जैसे चालक दल परिवर्तन, बंकरिंग, पोत भंडारण, पोत मरम्मत आदि के लिए बाह्य लंगर पर कॉल करने वाले पोतों के लिए पोत प्रभार

विवरण	यूनिट	तटीय पोत	विदेशगामी पोत
		(रुमें .)	(यूएस\$ में)
समुद्री सेवाओं जैसे चालक दल परिवर्तन, बंकरिंग, पोत	प्रति घंटा	3,300.00	73.30
भंडारण, पोत मरम्मत के लिए बाह्य लंगर पर कॉल करने	अथवा उसका		
वाले पोतों के लिए पोत प्रभार	भाग		

टिप्पणियाँ:

- (i). लंगर के लिए जाने की अनुमति के समय से खाली करने के समय तक प्रभार लागू होंगे और पोतों का लंगर नहीं होने के मामले में, पोत के अभिहित स्थान तक पहुंचने के समय से सेवा कार्य को पूरा होने के समय तक ये लागू होंगे।
- (ii). यह प्रभार लंगर प्रभार और टग किराया प्रभार के अतिरिक्त है जो दरमानों में पृथक रुप से अधिसूचित हैं। "

- 9.2. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें इस प्राधिकरण द्वारा आदेश को अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगी। इस मद के लिए निर्धारित दरें, आदेश टीएएमपी/10/2019-सीओपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा प्रशुल्क नीति, 2018 के तहत पत्तन के अनुमोदित एसओआर के सामान्य पुनरीक्षण का हिस्सा बनेंगी और दरों की वैधता इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पत्तन के संशोधित एसओआर की वैधता की अविध के समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाएगी।
- 9.3. सीओपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए समर्थन/अनुमोदन के आधार पर, सीओपीटी द्वारा तदर्थ आधार पर सीओपीटी के मूल प्रस्ताव के अनुसार रुपये 5500/- प्रति घंटा और उसके भाग की प्रस्तावित दर पर और 26 नवंबर 2020 से विदेशगामी पोत के लिए यूएस डालर 73.3 प्रति घंटा अथवा उसके भाग की दर से और तटीय पोत के लिए रुपये 3,300/- प्रति घंटा अथवा उसके भाग की दर से एकत्रित दर का इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों के भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख को लागू होने तक इस प्राधिकरण द्वारा अनुसमर्थन किया जाता है।
- 9.4. सीओपीटी को टिप्पणियों के साथ उप-अनुसूची 2.8 को इसके एसओआर में उपयुक्त रूप से सम्मिलित करने के लिए निदेश दिया जाता है।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

[विज्ञापन.-III/4/असा./472/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2021

No.TAMP/44/2020-COPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Cochin Port Trust (COPT) seeking approval of tariff to collect port charges for vessels calling at outer anchorage for "Maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc." at COPT, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/44/2020-COPT

Cochin Port Trust --- Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 28th day of December 2020)

This case relates to the proposal received from the Cochin Port Trust (COPT) seeking approval of tariff to collect port charges for vessels calling at outer anchorage for maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc. at COPT.

- 2. This Authority had, vide Order No.TAMP/10/2019-COPT dated 10 October 2019, approved general revision of Scale of Rates (SOR) of the COPT. This Order was notified in the Gazette of India on 30 October 2019 vide Gazette No.378. Subsequently, a speaking Order was notified vide Gazette No.446 dated 04 December 2019. The revised SOR notified by this Authority came into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR in the Gazette of India and shall be in force for a period of 3 years from the date the revised SOR came into effect.
- 3. The COPT has now vide its letter dated 16 October 2020 has made following submissions in its current proposal:
 - (i). During the review meeting taken by Hon'ble Minister for Shipping via video conferencing on 27 July 2020, it was noted that ship repair / crew change / supply of stores / bunkering facilities could become future opportunities of revenue generation for the port. Hence, based on the operations taken place during last 4 months, this proposal is submitted for consideration and approval of rates for adhoc implementation with effect from 15 October 2020.

- (ii). The crew change operations at COPT anchorage have seen over 630 ships for the period form 15 May 2020 to 26 September 2020 changing more than 10,000 seafarers. Presently, the port is collecting only tug hire charges notified in the SOR of the port and about ₹11.17 crores has been collected during the above period. On an analysis of the data for the crew change it is seen that, on an average, the tug hire charges are billed for 3 hours and amounts to ₹1.5 lakhs approx.
- (iii). Since no other charges are now being collected, it has been decided to explore the possibility of collecting a nominal charge for use of the outer anchorage, in line with the charges collected at other International Ports. A comparison of tariff at other International Ports is given below:

Anchorage Charges at Neighbouring Ports

Country	Rat	е	50,000 GR	T (In INR)
Colombo	Per 100 GRT or part thereof per 24 hours or part thereof	US\$ 2.20	₹82,500 per day	₹3,450 per hour
Singapore	First day-Rate per GRT per 100 GT (\$)	US\$1.00 per day	₹37,500 per day	₹1,565 per hour
	2 nd day – Rate per GRT per 100 GT(\$)	US\$ 4.40 per day	₹1,65,000 per day	₹6,875 per hour
	Upto 10 days	Free		
	From 11 th day to 15 th day	5750 Dhs/day	₹1,15,575	₹4,815.63
Fujairah	From 16 th day to 20 th day	8625 Dhs/day	per day per hou	
	From 21 st day and above	11,500 Dhs/day		
	First 3 days	AED 3 fils per GRT	₹60,300	₹837.50
Sharjah	After 3 days till 7 th day	AED 3 fils per GRT per day	for 3 days	per hour

- (iv). Comparing the size of vessels calling at COPT, the largest cargo ship is about 80,000 GRT and the smaller feeder vessels have a GRT of about 15,000. Taking the average size of the vessels as 50,000 GRT, the port has decided to charge ₹5,500/- per hour or part thereof as port charges for vessels calling at outer anchorage for maritime services irrespective of the size / category of the vessels.
- (v). The port charges for vessels calling at outer anchorage for maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc. will apply from the time the vessel anchors at the anchorage to the time it picks up anchor.
- (vi). In case a vessel that does not anchor; but, only comes to the anchorage to pick up/drop off personnel or goods, the port charges for maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc. will apply from the time the vessel reaches to position to the time the vessel completes the operations.
- (vii). Since facilitation of maritime services at the outer anchorage is a new venture and in order to promote the business and sustain the tempo, only an attractive introductive tariff is introduced, which could be gradually increased as the business flourishes.
- (viii). Accordingly, it is proposed to incorporate the following charges in Chapter-II 'Vessel Related charges' as a new clause 2.8 in the existing Scale of Rates as "Port Charges for vessels calling at outer anchorage for Maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc." as given below:
 - "2.8 Port Charges for vessels calling at outer anchorage for maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc.

Description		Un	it		Rate (in ₹)
Charges for vessels calling at outer anchorage for Maritime services	Per there		or	part	5500.00

Note:-

- (i). The charges will apply from the time of letting go of anchor to anchor aweigh and in the case of the ships not anchoring, it will apply from the time the vessel arrives at the designated position to the time it completes the service.
- (ii). This charge is in addition to the anchorage charges & tug hire charges which are separately notified in the Scale of Rates."
- (ix). The above proposal has been approved by the Chairperson, COPT and it is proposed to collect the above charges on adhoc basis with effect from 15 October 2020. The proposal will be placed in the ensuring Board and a copy of the Board Agenda and Resolution will be submitted in due course after the Board Meeting.
- (x). In view of the foregoing, it is requested to approve the rate of ₹5,500/- per hour or part thereof towards port charges for vessels calling at outer anchorage for maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc. on adhoc basis with effect from 15 October 2020 and issue necessary order in this regard at the earliest.
- 4.1. While acknowledging the subject proposal, the COPT vide our letter dated 21 October 2020 was requested to furnish information on a few points based on the preliminary scrutiny of the proposal. The COPT has responded vide its letter dated 04 November 2020 and subsequent emails dated 06 December 2020 and 10 December 2020. The information / clarification sought by us and the response of COPT is tabulated below:

Sr. No. Information / documents sought by us Reply furnished by COPT As per clause 10.1.1 of the Working Guidelines, (a). The rate of ₹5,500/- per hour or part thereof (i). Vessel related charges for foreign-going vessels was fixed towards Port Charges for vessels will continue to be denominated in US dollars calling at outer anchorage for maritime services and recovered in Indian rupees. The proposal after having discussion with the trade. Since of the port states that this item is a vessel facilitation of maritime services at outer harbor related charge. The port has, however, is a new venture and in order to promote the proposed single tariff in rupee terms. The port business, an attractive introductory notional to, therefore, consider to propose tariff for this tariff was proposed which could be gradually item for foreign going vessel in US\$ to fall in line increased as the business flourishes. The tariff with the said Clause of the Working guidelines proposed was an all-encompassing composite and for coastal vessel in rupee denomination tariff similar to the rationalized tariff fixed by the after capturing the 40% concession applicable Ministry for Cruise vessels. as per the coastal concession policy of the (b). The rate of ₹5,500/- per hour communicated Government and brought in para 10.1.2 of the earlier was fixed by taking reference tariff of Rate Working Guidelines, 2018. 2.3.4. SI. No.4 of the existing SOR of COPT i.e. anchorage charges notified in the SOR fixed for Clause 7.6.1. of the Tariff Policy, 2018 (ii). the Non Port berth for the stay beyond 144 prescribes the option for fixation of tariff for new hours i.e. US\$ 0.001466 per GRT per hour cargo/ service for which tariff is not available in (Clause 2.3.4 SI. No.4). Comparing the size of the existing SOR viz. adoption of rate for similar vessels calling at Cochin Port, the largest cargo cargo/ facility in other major ports, normative ships at about 80,000 GRT and smaller feeder basis adopting 2008 principles and cost plus vessels at about 15,000 GRT, an average GRT 16% return approach. The port to clarify the of 50,000 has been taken. Accordingly, a rate of proposed rate falls under which of the options ₹5,500/- per hour or part thereof was fixed prescribed in the Tariff Policy, 2018. The port to irrespective of size/category of vessel, based on furnish the basis of the proposed rate. the calculation as given below: Anchorage Average Dollar Proposed GRT of charges rate Maritime beyond 144 service

[भाग III—खण्ड 4]

hours (in US\$) (A)	vessel (B)	in INR (C)	charge in original proposal (A x B x C)
\$ 0.001466	50,000	75	₹5,497.5 (rounded off to ₹5,500/-)

(c). Since the TAMP has instructed to propose tariff for this item for foreign going vessel in US\$ to fall in line with the Clause 10.1.1 and 10.1.2 of the Working guidelines and for coastal vessel in rupee denomination after capturing 40% concession applicable as per the coastal concession policy of the Government, separate tariff for foreign and coastal vessel are proposed as per the table shown below taking reference of the same tariff of Rate 2.3.4., SI. No.4 of the existing SOR of COPT:]

The rate is in line with the recommendation of the Committee, which was based on consultation with Trade.

Description	Unit	Coastal Vessel (in ₹)	Foreign Vessel (in US\$)
Charges for vessels calling at outer anchorage for Maritime Services	Per hour or part thereof	3,300.00*	73.3 #

*(73.30 US\$ X ₹75.00 X 60%)

(₹5497.50/ ₹75.00 = US \$ 73.30)

- (d). Instead of taking tariff of the other Ports as reference tariff, Port has taken reference of its own Tariff at Clause No.2.3.4 SI. No.4 of the existing SOR of COPT. The port has also compared the tariff of other International Ports like Colombo, Singapore, Fujairah etc. before arriving at the above proposed rates and has found it comparable with the rates for similar services at the neighbouring international ports.
- (e). Subsequently, the COPT vide its email dated 06 December 2020 has further clarified that the proposed port charges for marine services are exclusive of anchorage charges, tug charges or any other charges prescribed in the Scale of Rates and levied by the Port i.e. they will be charged in addition to the anchorage charges, tug hire charges (if their services are used by the ships) or any other service provided by the Port which will be

		charged separately.
		Port Charges for maritime services will apply from the moment the vessel arrives to avail of the maritime service while anchorage charges will apply only after 48 hours. After 48 hours both charges will apply.
		Notes to the SOR proposed clarifies this position as below:
		2. Port charges for maritime services will apply from the time of letting go of anchor to anchor aweigh and in the case of the ships not anchoring, it will apply from the time the vessel arrives at the designated position to the time it completes the service.
		3. This charge is in addition to the anchorage charges, tug hire charges and any other charges which are separately notified in the Scale of Rates.
		Port dues will not be charged to the ships calling at the anchorage for any services as the vessel has not entered the port. (See note #2 under Para 2.1.2 of SOR).
(iii).	In the last general SOR approved by this Authority, vide Order No.TAMP/10/2019-COPT dated 10 October 2019, the revenue gap left uncovered is to the tune of ₹21.27 crores. The COPT to estimate the additional revenue likely to accrue at the proposed rate for Charges for vessels calling at outer anchorage for Maritime services at ₹5,500/- per hour or part thereof and confirm that it shall be within the revenue gap left uncovered so as to ensure that the total revenue estimates is within the total estimated ARR of ₹418.89 crores in the said Order.	Additional revenue likely to be generated from the proposed new rate is approximately ₹6 crores per annum which is well within the revenue gap left uncovered of ₹21.27 crores and within the total estimated ARR of ₹418 crores.
(iv).	Also, furnish a copy of the Board approval for the proposed rate.	COPT vide its email dated 10 December 2020 has forwarded a copy of the Board approval on the proposal of the port. The Board of Trustees of the port has approved the revised rate of US\$73.3 per hour of part thereof for foreign going vessel and ₹3,300/- per hour of part thereof for coastal vessel w.e.f. from 26 November 2020 and to implement the revised rates on adhoc basis from the said date till the approval of the rates by this Authority. The Board of Trustees of COPT has also ratified the action taken by the port of implementing the rate of ₹5,500/- per hour of part thereof on adhoc basis w.e.f. 15 October 2020 as per the original proposal of the COPT.

- 4.2. Thus, the COPT vide its letter dated 04 November 2020 has proposed to incorporate the following proposed charges in Chapter-II 'Vessel Related Charges' as a new clause 2.8 in the existing Scale of Rates as "Port Charges for vessels calling at outer anchorage for Maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc." as against its original proposal of ₹5,500/- per hour:
 - "2.8 Port Charges for vessels calling at outer anchorage for maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc.

Description					Unit				Coastal vessel	Foreign vessel
									(in ₹)	(in US\$)
	or vessels or Maritime servi	calling ces	at	outer	Per there	hour of	or	part	3,300.00	73.3

"Note.-

- (i) The charges w/// apply from the time of letting go of anchor to anchor aweigh and in the case of the ships not anchoring, it will apply from the time the vessel arrives at the designated position to the time it completes the service.
- (ii) This charge is in addition to the anchorage charges & tug hire charges which are separately notified in the Scale of Rates."
- 5. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the COPT proposal dated 16 October 2020 was circulated vide our letter dated 21 October 2020 to the users/ user organisations seeking their comments. Further, subsequent letter of the COPT dated 04 November 2020 was also circulated to the users/ user organisations vide our letter dated 10 November 2020 seeking their comments. We have received comments from Cochin Steamer Agents Association (CSAA). None of the other users/ user organisations have furnished their comments. A copy of the comments received from CSAA was forwarded to the COPT as feedback information. The COPT has not responded till the matter was taken up for finalization.
- 6. A joint hearing in this case was held on 24 November 2020 through Video Conferencing. The COPT and the concerned users / user organizations have made their submissions.
- 7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to them. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.
- 8. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:
 - (i). The proposal filed by the Cochin Port Trust (COPT) is to prescribe tariff to collect port charges for vessels calling at outer anchorage for maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc. at COPT.

The proposal has been mooted in view of series of crew change operations of over 630 ships at COPT outer anchorage which happened for the period from 15 May 2020 to 26 September 2020 changing more than 10,000 seafarers. As confirmed by the COPT, presently, the port is collecting only tug hire charges notified in the SOR of the port. Tug hire charges are billed for 3 hours and amounts to ₹1.5 lakhs approx. Apart from tug hire charges, no other charges are now being collected. Crew change duration is 20 hours. Port does not earn any revenue as per the existing SOR except tug hire charges though services of crew change is availed at outside anchorage of the port. Hence, the proposed rate is introduced. Thus, in short, in view of crew change services availed in the COPT limits outside the anchorage, the COPT has decided to explore the possibility of collecting a nominal charge for use of the outer anchorage, in line with the charges collected at other International neighboring Ports.

Clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018 prescribes the option for fixation of tariff for new cargo/ service for which tariff is not available in the existing SOR viz. adoption of rate for similar cargo/ facility in other major ports, normative basis adopting 2008 principles and cost plus 16% return approach. The port has furnished the basis of the proposed tariff which is brought out in the subsequent paragraph.

The proposal of the COPT seeks tariff for a new services availed at its port. That being so, there is merit to consider the proposal of COPT.

(ii). Now, coming to the current proposal of the COPT, the COPT has proposed to collect port charges for vessels calling at outer anchorage for maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc. at COPT.

In the original proposal, COPT had proposed rate at ₹5,500/- per hour after having discussion with the trade and keeping in view the charges collected at other International neighboring Ports stating that since facilitation of maritime services at outer harbor is a new venture and in order to promote the business, an attractive introductory notional tariff was proposed. The tariff proposed was an all-encompassing composite tariff similar to the rationalized tariff fixed by the Ministry for Cruise vessels.

Based on the point raised by office for separate rate for coastal vessel as per the coastal concession policy of the Government, COPT has now proposed separate rate for foreign vessel at US\$73.30 per hour and for coastal vessel at ₹3,300/- per hour. The statement showing calculations is brought out in the preceding paragraphs which is not reiterated again for sake of brevity. For arriving at the proposed rate, the port has considered the anchorage charges prescribed in schedule 2.3.4. of the existing SOR of COPT for the Non Port berth for the stay of vessel beyond 144 hours at US\$ 0.001466 per GRT per hour and considering the average GRT of vessels at 50,000 based on the size of largest vessel and smallest feeder vessels calling at Cochin Port (80,000 + 15000) / 2 = 50,000 GRT) and arrived at US\$ 73.30 per hour or part thereof for foreign going vessel [\$0.001466 X 50,000 GRT]. The concessional rate for coastal vessel is proposed applying exchange rate of 1US\$=₹75. The port has drawn comparison of the proposed tariff with the tariff of other International Ports like Colombo, Singapore, Fujairah and Sharjah and has found the proposed rate comparable with the rates for similar services at the neighbouring international ports. The Board of Trustees of the COPT has approved the revised rate with effect from 26 November 2020.

- (iii). (a). The port has proposed two notes. The first note states that the proposed port charges for maritime services would apply from the time of letting go of anchor to anchor aweigh and in the case of the ships not anchoring, it will apply from the time the vessel arrives at the designated position to the time it completes the service. The proposed note is regarding the time of applicability of the proposed rate and hence approved.
 - (b). The second note states that the proposed charge is in addition to the anchorage charges, tug hire charges and any other charges which are separately notified in the Scale of Rates.

The tariff proposed are for services of crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc. at COPT outside the port anchorage. The port has confirmed that port dues will not be charged to the ships calling at the anchorage for any services as the vessel has not entered the port.

Presently, the port charges tug hire charges for the vessels outside anchorage for availing the said maritime services. As regards, anchorage charges, as per the existing SOR of COPT, the anchorage charges are leviable only after 48 hours as per the Berthing Policy, 2016 and hence are not leviable for the first 48 hours. The crew change services are completed in 20 hours as reported by the port. The proposed Port Charges for maritime services will apply from the moment the vessel arrives to avail of the maritime service till the completion of services, whilst anchorage charges will apply only after 48 hours of stay at anchorage. The second note proposed is more of a clarificatory in nature and hence approved.

(iv). Cochin Steamer Agents Association (CSAA) and Indian National Shipowners' Association (INSA) have pointed out that bunkering is for around 20 hours. At proposed rate, the impact will be around rupees 1 lakh. The vessels will go back and CSAA have done lot of marketing to get bunkering into COPT. They have got vessels from Colombo. Such a tariff is not being charged at other international Ports. Hence, CSAA and INSA have requested the port for waiver of the charges for bunkering or atleast 50% discount in the proposed rates.

The port has reacted that it is sensitive on the said matter and has taken it to Board. The port has assured that this charge may be waived by the port if the vessel comes for bunkering subject to approval of its Board. The port has, however, during the processing of the case insisted to prescribe the proposed rate in the SOR so that port can review it.

Based on the clarification furnished by the port and recognising that the Board of Trustees of the port has approved the proposed rate, the proposed rates are prescribed in the SOR.

As per clause 2.7 of the Tariff Policy, 2018, it is for the concerned Major Port Trust to ensure that as a result of the change in SOR there will not be a loss of traffic.

- (v). The revenue from port charges for vessels calling at outer anchorage for maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc. at COPT is estimated to be around ₹6 crores per annum. This will, however, not have any significant impact on the revenue estimated in the last general revision Order No.TAMP/10/2019-COPT dated 10 October 2019 at the proposed SOR which is of ₹418 crores and the revenue gap left uncovered is to the tune of ₹21.27 crores.
- (vi). The COPT has intimated that the port is collecting the originally proposed tariff of ₹5,500 per hour or part thereof on adhoc basis from 15 October 2020 and hence has sought adhoc approval of the proposed rate with effect from 15 October 2020.

It is relevant here to mention that for a new cargo / service / facility for which no tariff is available in the existing SOR of the port, Clause 5.7.3 read with clause 5.7.1 and 5.7.2 of the working guidelines 2018 allows the port to levy the proposed rates on an ad hoc basis simultaneously along with filing of its proposal to this Authority. Further, clause 5.7.5 of the Working Guidelines stipulates that ordinarily the rates to be approved for new cargo / facility shall have prospective effect. The said clause also allows this Authority to recognize the interim rate adopted by the Port in an adhoc manner unless it is found to be excessive requiring some moderation retrospectively.

The port has, during the processing the case, forwarded a copy of its Board approval on the proposal of the port. The Board of Trustees of the port has approved the revised rate of US\$ 73.3 per hour of part thereof for foreign going vessel and ₹3,300/- per hour of part thereof for coastal vessel w.e.f. from 26 November 2020 and has accorded approval to implement the revised rates on adhoc basis from the said date till the approval of the rates by this Authority. The Board of Trustees of COPT has also ratified the action taken by the port of implementing the rate of ₹5,500/- per hour of part thereof on adhoc basis w.e.f. 15 October 2020 as per the original proposal of the COPT.

The rate proposed by the COPT in the revised proposal is only conversion of ₹ denominated rate into US\$. The rate to be approved by this Authority is not found to be varying from the original rate proposed by COPT and being collected provisionally on adhoc basis by the port. Further, the proposed rate has already been implemented by the port which is in line with clause 5.7.1 and 5.7.2 of the Working Guidelines. That being so, and also recognising that the Board of Trustees has ratified the action taken by the port of implementing the rate of ₹5,500/- per hour of part thereof on adhoc basis w.e.f. 15 October 2020 as per the original proposal of the COPT and has approved revised rates of US\$ 73.3 per hour of part thereof for foreign going vessel and ₹3,300/- per hour of part thereof for coastal vessel from 26 November 2020, this Authority recognises the same in line with clause 5.7.5 of the Working Guidelines till the revised rates approved by this Authority comes into effect.

The rates approved by this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. Since the proposed rates are already implemented by the port based on the approval of its Board, the revised rates proposed by the COPT are given effect from the date of notification of the Order in the Gazette and the revised rates implemented by the port with effect from 26 November 2020 are deemed to have been ratified till the date of notification of the Order passed.

The rates prescribed for this item shall form part of the general revision of the SOR of the port approved under the Tariff Policy, 2018 vide Order No.TAMP/10/2019-COPT dated 10 October 2019 and the validity of the rates shall be coterminous with the validity of the revised SOR of the port approved by this Authority.

- 9.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the following is approved as insertion as sub schedule 2.8 under Chapter II Vessel Related Charges in the existing Scale of Rates (SOR) of COPT:
 - "2.8 Port Charges for vessels calling at outer anchorage for maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs etc.

Description	Unit	Coastal Vessel (in ₹)	Foreign Vessel (in US\$)
Charges for vessels calling at outer anchorage for Maritime services such as crew change, bunkering, ship stores, ship repairs.	Per hour or part thereof	3,300.00	73.30

Notes:

- (i). The charges will apply from the time of letting go of anchor to anchor aweigh and in the case of the ships not anchoring, it will apply from the time the vessel arrives at the designated position to the time it completes the service.
- (ii). This charge is in addition to the anchorage charges & tug hire charges which are separately notified in the Scale of Rates."
- 9.2. The rates approved by this Authority shall into effect from the date the Order is notified by this Authority. The rates prescribed for this item shall form part of the general revision of the SOR of the port approved under the Tariff Policy, 2018 and the validity of the rates shall be co-terminus with the validity of the revised SOR of the port approved by this Authority vide Order No.TAMP/10/2019-COPT dated 10 October 2019.
- 9.3. Based on the ratification / approval accorded by the Board of Trustees of the COPT, the rate collected on adhoc basis by the COPT at the proposed rate of ₹5,500/- per hour of part thereof as per the original proposal of the COPT and revised rates of US\$73.3 per hour of part thereof for foreign going vessel and ₹3,300/- per hour of part thereof for coastal vessel with effect from 26 November 2020 are ratified by this Authority till the rates approved by this Authority come into effect on the date of notification of this order in the Gazette of India.
- 9.4. The COPT is directed to suitably incorporate the sub-schedule 2.8 in its SOR along with the Notes.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./472/2020-21]